Email: directoracad.cbse@nic.in
Webite: www.cbseacademic.in

Tel: 011-23212603
Tele Fax: 011-23234324

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
शिक्षासदन, 17, इन्सटिट्यूशनल क्षेत्र, राउज एवेन्यु, दिल्ली-110002.
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
"ShikshaSadan", 17, Institutional Area, Rouse Avenue, New Delhi-110002.

के.मा.शि.बो./नि. (शै.अ.प्र.न.)/2014 **दिनांक: 27 अगस्त, 2014**

परिपत्र संख्या-शैक्षणिक. 28/2014

के.मा.शि.बो. से संबद्धता
सभी विद्यालय प्रमुखों के लिए

विषय-शैक्षणिक सत्र 2014-15 में कक्षा IX एवं XI के लिए समस्या समाधानआकलन (PSA) का संचालन

प्रिय प्रधानाचार्य,

यह व्यापक रूप से मान्य है कि मौखिक संचार कौशल, विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति, समीक्षात्मक चिंतन, रचनात्मक चिंतन, निर्णय निर्धारण क्षमता एवं सामान्य कौशल प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक जीवन में सफलता प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। विद्यार्थियों में इन कौशलों को प्रोत्साहन देने एवं आकलन करने के उद्देश्य से बोर्ड ने फरवरी 2013 से 'समस्या समाधान आकलन' को आयोजित करने की पहल की। बोर्ड की इस पहल को सभी हितधारकों ने व्यापक रूप से स्वीकार किया और सराहा है।

यह परीक्षा वर्तमान सत्र 2014-15 के लिए निम्न तिथि को आयोजित होगी:

20 नवंबर, 2014 (गुरूवार)

इस परीक्षा की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार है:

- यह परीक्षा IX एवं XI कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है।
- इसमें कुल 60 अंकों के 60 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे।
- यह परीक्षा प्रात: 10 बजे से अपराह्न 12 बजे तक होगी।
- इस परीक्षा में जीवन कौशलों का मूल्यांकन निम्न तीन प्रकार के क्षेत्रों में है: भाषीय आचार/गुणात्मक तर्क शक्ति/मात्रात्मक तर्क शक्ति
- प्रश्नों में 21 वीं सदी के कौशलों जैसे रचनात्मक चिंतन, निर्णय क्षमता, समीक्षात्मक चिंतन, समस्या आकलन एवं संप्रेषण कौशल के आकलन का समावेश होगा जो उच्च शिक्षा के साथ-साथ उनके वास्तविक जीवन परिस्थितियों में भी अधिकाधिक सफलता प्रदान करेगा। ये प्रश्न विद्यार्थियों के केवल पूर्व विषय-ज्ञान का आकलन करने की अपेक्षा उनकी जानकारियों को संसाधित, व्याख्या एवं उपयोग करने का आकलन करेंगे।
- भाषा के आकलन में वे प्रश्न सम्मिलित होंगे जो संदर्भ एवं अनुच्छेद-सम्पूर्ति में व्याकरण, प्रयुक्ति एवं शब्दावली का आकलन करेंगे।
- ये प्रश्न अँग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी बनाए जाएँगे।
- PSA के प्राप्तांक FA4 के स्थान पर गिने जाएँगे जो कि कक्षा IX के कुल आकलन का 10% है। यह प्राप्तांक समान रूप से एक भाषा (हिन्दी या अँग्रेजी), गणित, विज्ञान एवं सामाजिक-विज्ञान में दर्शाया जाएगा। कक्षा XI के विद्यार्थियों को इसके लिए एक अलग प्रमाणपत्र दिया जाएगा।
- कक्षा X एवं XII के समस्त विद्यार्थियों (जो कक्षा IX एवं XI में पढ़ते हुए पिछले सत्र के दौरान PSA में सम्मिलित हुए थें) जो PSA के प्राप्तांको में सुधार करना चाहते हैं, उन्हें इसकी अनुमति है। इससे संबंधित जानकारी 2014 की वार्षिक परीक्षा के लिए जमा की जाने वाली उम्मीदवारों को सूची के साथ स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जा सकती है।

- PSA में उपस्थित होने के लिए अलग से कोई पंजीकरण नहीं होगा।
- विद्यालय द्वारा PSA में उपस्थित हो रहे विद्यार्थियों के लिए रु. 100 प्रति विद्यार्थी की दर से नाममात्र का शुल्क विवरण जमा कराते समय किया जाएगा।

अन्य किसी स्पष्टीकरण के लिए विद्यालय डॉ. साधना पाराशर, निर्देशक(शैक्षणिक/अनुसन्धान/प्रशिक्षण एवं नवाचार) को दिए गये मेल पर **sadhanap.cbse@nic.in** अथवा श्री आर. पी. शर्मा, सलाहकार को निम्न मेल पर **science.cbse@gmail.com** पर सम्पर्क कर सकते हैं।

आपसे सभी संबंधितों तक इस जानकारी को प्रसारित करने का आग्रह किया जाता है।

शुभकामनाओं के साथ

हस्ताक्षरित/-
डॉ. साधना पाराशर
प्रोफेसर एवं निदेशक (शैक्षणिक/अनुसन्धान/प्रशिक्षण एवं नवाचार)

निवेदन के साथ, सभी निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के प्रमुखों को, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को सूचना देने के लिए प्रतिलिपि:

1. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18-इन्सटिट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
2. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, ए-28 कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली
3. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, नई दिल्ली-110054
4. निदेशक, सार्वजनिक निर्देश (विद्यालय), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर-9 चंडीगढ़-160017
5. शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम-737101
6. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर-791111
7. शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर-744101
8. राज्य शिक्षा संस्थान, के.मा.शि.बो. कक्ष वी.आई.पी. मार्ग जंगली घाट. पी.ओ.-744103 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह।
9. केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, एस.एस. प्लाज़ा, सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085
10. सभी क्षेत्रीय निदेशक। के.मा.शि.बो. के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को अपने संबंधित क्षेत्रों में बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों के प्रमुखों को परिपत्र की प्रति भेजने के अनुरोध के साथ।
11. सभी एसोसिएट प्रोफेसर एवं अपर निदेशक/सलाहकार/परामर्शदाता
12. सभी अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/अप निदेशक/सह-निदेशक, वोकेशलन सेल, के.मा.शि.बो.
13. के.मा.शि.बो. की वेबसाइट पर इस परिपत्र को अपलोड करने के अनुरोध के साथ अनुसंधान अधिकारी (तकनीकी)
14. सभी सहायक प्रोफेसर एवं अपर निदेशक, के.मा.शि.बो.
15. सभी सहायक प्रोफेसर एवं उप निदेशक, के.मा.शि.बो.
16. उप निदेशक (परीक्षा एवं सुधार), के.मा.शि.बो.
17. असिस्टेंट लाइब्रेरियन, के.मा.शि.बो.
18. जन संपर्क अधिकारी, के.मा.शि.बो.
19. हिंदी अधिकारी, के.मा.शि.बो.
20. अध्यक्ष, के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
21. सचिव, के.मा.शि.बो. के निजी सचिव
22. परीक्षा नियंत्रक, के.मा.शि.बो. के अनुभाग अधिकारी
23. निदेशक (विशेष परीक्षा तथा सी.टी.ई.टी.), के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
24. प्रोफेसर एवं निदेशक (शैक्षणिक/अनुसन्धान/प्रशिक्षण एवं नवाचार), के.मा.शि.बो. के निजी सहायक
25. निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) के निजी सहायक
26. निदेशक (एडुसैट) के निजी सहायक

प्रोफेसर एवं निदेशक (शैक्षणिक/अनुसन्धान/प्रशिक्षण एवं नवाचार)